न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 21 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. गंगाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. केसाराम पुत्र गंगाराम 2. भैराराम पुत्र गंगाराम 3. मीरा पुत्री गंगाराम 4. सांवलाराम पुत्र गंगाराम 5. छाया पुत्री गंगाराम 6. दिनेश पुत्री गंगाराम 7. केली पुत्री गंगाराम 8. ओमी पुत्री गंगाराम 9. नेताराम पुत्र गंगाराम 10. मूमल पुत्री गंगाराम 11. अशोक पुत्र गंगाराम उतरदाता संख्या 7 से 11 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मरूआ पत्नी गंगाराम 12. खेराजराम पुत्र उदाराम जातियान मेगवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक धोरीमन्ना 14. निम्बाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी खरड तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 15. मघाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी मिसरी की बेरी लुखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 16. खरताराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी खरड तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 17. ममता पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 18. चनणा पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई निवासी खरड़ 19. अशोक पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 70 / 2018 बअनवान केसा बनाम गंगा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भीखाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 14 की ओर से।
3. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट संख्या 17 की ओर से।

09.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 28 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
खेराजराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. केसाराम पुत्र गंगाराम 2. गंगाराम पुत्र उदाराम 3. भैराराम पुत्र गंगाराम 4. मीरा पुत्री गंगाराम 5. सांवलाराम पुत्र गंगाराम 6. छाया पुत्री गंगाराम 7. दिनेश पुत्री गंगाराम 8. केली पुत्री गंगाराम 9. ओमी पुत्री गंगाराम 10. नेताराम पुत्र गंगाराम 11. मूमल पुत्री गंगाराम 12. अशोक पुत्र गंगाराम उतरदाता संख्या 8 से 12 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मरूआ पत्नी गंगाराम उम्र 52 वर्ष जाति मेगवाल निवासी धौरीमन्ना 13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक धौरीमन्ना 14. निम्बाराम पुत्र उदाराम 15. खरताराम पुत्र उदाराम जाति मेगवाल निवासी खरड़ 16. मघाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी मिश्री की बेरी लुखू तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 17. ममता पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 18. चनणा पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई निवासी खरड़ 19. अशोक पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई निवासी खरड़ तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2018 बअनवान केसा बनाम गंगा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2021 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रोशनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 14 की ओर से।
3. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट संख्या 17 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.12.2023

अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 92क, 188,

8/12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया वक्त सेटलमेंट ग्राम धोरीमन्ना में राजस्व ग्राम धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 422 जो वर्तमान खसरा संख्या 422/5 रकबा 23.13 वीघा का पर्चा लगान वादी के दादा उदाराम व उसके भाईयों के नाम से जारी हुआ। उदाराम की फौतगी के वाद उसके पुत्र खेराज व गंगाराम के नाम नामान्तकरण पारित हुआ जो वर्तमान में वदस्तुर जारी है। इस खेत में हिस्से खुल्ले हुऐ है इस खेत में वादी का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अनुसार जन्म से ही हक हिस्सा उत्पन्न हो गया तथा वर्तमान में वादी के पिता गंगाराम का 231/473 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में खुल्ला हुआ है जो उदाराम के फौत होने पर उतराधिकारिता के रूप में गंगाराम को प्राप्त हुआ था जिसमें वादी का जन्म से ही गंगाराम के साथ हक हिस्सा निहित हो गया। गंगाराम के 11 पुत्र पुत्रीया है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का गंगाराम की 11 संतान के साथ 1/12–1/12 हिस्सा बनता है। इसी हक हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 संयुक्त रूप से काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 कुछ भू माफियों के चक्कर में आकर नशे का आदि हो गया है तथा अपनी तलब पूरी करने के लिये सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिससे वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर शेष प्रतिवादीगण से बंटवाड़ा के अनुतोष का वाद न्यायालय श्री में किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। कोविड–19 के चलते राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय में नियमित कार्यवाही नहीं हो सकी। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट श्री भीखाराम विश्नोई ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गलत जारी की। बंटवारा में हिस्सा खेराजराम का साथ रख दिया गया जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सा अलग घोषित किया गया। मगाराम व खरताराम के हिस्से में दिया गया भाग में अपीलांट की रहवासी ढाणी बनी हुई है जहां पर अपीलांटस वह अपीलांटस के परिवार का निवास है। प्राथमिक डिक्री वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार जारी की है उसी अनुसार

08-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन की अंतिम डिक्री जारी नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 14 निम्बाराम पुत्र उदाराम के हिस्से तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है शेष अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल विश्नोई ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धौरीमन्ना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्ड सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 14 श्री बांकाराम चौधरी ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित की गई विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वक्त बहस उभयपक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसके बावजूद भी अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय से पिड़ित है तो मेरे हिस्से तक निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। हि। 08.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 17 श्री लाधुराम पूनिया ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की सहमति से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि कोविड–19 के चलते राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय में नियमित कार्यवाही नहीं हो सकी तथा अधीनस्थ न्यायालय के नियमित सुनवाई प्रारम्भ होने पर अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण को निस्तारण होने का बताया, जिस पर अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव व अंतिम निर्णय तथा डिक्री की प्रति मांगी जो प्राप्त होने पर अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधिवक्ता उभयपक्ष ने वक्त बहस उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 14 निम्बाराम पुत्र उदाराम के हिस्से तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखने में सहमति जाहिर की। अपीलांट खेराजराम द्वारा

08.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपने हिस्से की भूमि को अलग करने का निवेदन करने के वावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका हिस्सा शेष सहखातेदारों के साथ संयुक्त रखा गया जो विधि सम्मत नहीं है। प्राथमिक डिक्री में अपीलाधीन आराजी को वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने के आदेश दिये गये जिसकी पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई। प्राथमिक डिक्री निर्विवाद है क्योंकि उसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल तक द्वितीय अपील में भी यथावत रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2019 के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2018 बअनवान केसा बनाम गंगा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2021 को रेस्पोडेंटस/प्रतिवादी संख्या 14 निम्बाराम पुत्र उदाराम के हिस्से तक यथावत रखते हुए शेष को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया प्राथमिक डिक्री में पारित निर्णय "पक्षकारान के मध्य वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा किये जाने के आदेश दिये जाते है।" के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.02.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

08.12.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर